संचालनालय, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मध्यप्रदेश

पत्रकार कॉलोनी, लिंक रोड नम्बर-3, भोपाल- 462016
फोन-0755-2556916, ईमेल- dir.socialjustice@mp.gov.in

क्रमांक/क.वि./20205/ I/551712/2025 15-10-2025

प्रति,

श्री योगेश सिंह ,
वरिष्ठ तकनीकी संचालक,
एन.आई.सी., म.प्र.।
ई-मेल : singh.yogesh@nic.in

विषय :- मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना के क्रियान्वयन हेतु विवाह पोर्टल पर प्रावधान करने के संबंध में।

-----0------

मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना का ऑनलाईन क्रियान्वयन एन.आई.सी. म.प्र. द्वारा विकसित विवाह पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। योजना अंतर्गत हितग्राही को केवल एक बार ही योजना का लाभ प्राप्त हो सकता है। अत: कृपया विवाह पोर्टल पर निम्नानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें :-

- सामूहिक कन्या विवाह /निकाह कार्यक्रम के आयोजन/सम्मेलन में यदि किसी आवेदिका/वर का पंजीयन हो चुका है, उस स्थिति में पुन: पंजीयन नहीं हो सके।
- केवल आवेदक के अपात्र होने अथवा सामूहिक विवाह /निकाह कार्यक्रम में अनुपस्थित होने की स्थिति में ही पुन: आवेदन किया जा सके।
- यदि किसी वर का किसी आवेदिका के साथ पूर्व में विवाह हो चुका है उस स्थिति में पुन: वर का पंजीयन पोर्टल पर नहीं हो।
- समग्र पोर्टल पर वधु एवं वर की वैवाहिक स्थिति, अविवाहित / तलाकशुदा होने पर ही विवाह पोर्टल पर आवेदन पंजीयन की अनुमति प्रदान की जाये।

<u>आयुक्त द्वारा अनुमोदित</u>

Digitally signed by Pramila Waikar
Date: 15-10-2025 13:07:54

PRAMILA WAIKAR
DEPUTY DIRECTOR
उप संचालक
वास्ते आयुक्त
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण
मध्यप्रदेश

पृ.क्र./क.वि./ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग,मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ ।
3. समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. म.प्र.।

उपरोक्तानुसार डिजीटल हस्ताक्षर किये गये
उप संचालक
वास्ते आयुक्त
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण
मध्यप्रदेश